प्रेस विज्ञप्ति

11.07.2026

<u>रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामले में ईडी ने 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों कुर्क की</u>

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच किए जा रहे मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और मेसर्स रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के मामले में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां कुर्क की हैं।

कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर आरएचएफएल/आरसीएफएल के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। अब तक की गई जांच से पता चला है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए 15,548 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित शेल और समूह कंपनियों के जाल के माध्यम से व्यवस्थित रूप से विपथित किया था।.

कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड के इक्विटी शेयर और मेसर्स सासन पावर लिमिटेड और मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड से प्राप्त होने वाली कुछ ऋण राशि शामिल है।

पीएमएलए और फेमा के प्रावधानों के तहत ईडी रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रही है। आज तक पीएमएलए के तहत 4 ईसीआईआर दर्ज किए गए हैं और फेमा के प्रावधानों के तहत 3 मामले दर्ज किए गए हैं। ईडी ने जांच के दौरान 80 से अधिक परिसरों की तलाशी ली है। पीएमएलए के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों की कुर्की के बाद, आज तक की कुल कुर्की 20,367 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। फेमा के प्रावधानों के तहत 77.86 करोड़ रुपये की और संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी ने पहले ही पीएमएलए के तहत विभिन्न मामलों में 4 अभियोजन शिकायतें और फेमा के तहत 1 शिकायत दर्ज की है। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के 8 वरिष्ठ अधिकारियों/ करीबी सहयोगियों को अब तक पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है और वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ई.डी. ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। एस.आई.टी. इन मामलों में तेजी से जांच कर रही है।